हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2014 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

6.12.2014/1100/जेके/एजी/1

प्रश्नकाल आरम्भ

अध्यक्षः श्रीमती आशा कुमारी authorized to Shri Kuldip Kumar.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल आरम्भ करने से पहले मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि जो जम्मू-कश्मीर में हमारे फौजी शहीद हुए हैं उनको सबसे पहले माननीय सदन श्रद्धांजलि अर्पित करें। ----(व्यवधान)----

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री प्रेम कुमार धूमल जी प्रश्नकाल आरम्भ हो गया है। ----(व्यवधान)----आप क्या बोलना चाहते हैं?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल प्रारम्भ होने से पहले ही मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि कल आतंकवादियों के हमले में हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल प्रारम्भ होने से पहले यह सदन श्रद्धांजलि भेंट करें और उसके बाद प्रश्नकाल चले, जैसा कि आमतौर पर होता है कि श्रद्धांजलि पहले ही दी जाती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख का विषय है। लेकिन प्रश्नकाल के बाद सरकार की तरफ से ही एक प्रस्ताव आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के उग्रवादियों ने जो condemn किया है, उसमें अगर अभी बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं , उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रश्नकाल के बाद सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव आ रहा है।

अध्यक्षः ठीक है, इस मैटर को हम टेक-अप कर लेंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः यह तो सैद्धांतिक बात है कि यदि प्रश्नकाल से पहले श्रद्धांजलि दे दी जाए तो इसमें किसी को कोई गोल्ड मैडल नहीं मिलने वाला है। इसमें दो मिनट का मौन करो और उसके बाद प्रश्नकाल आरम्भ करो। हमेशा से परम्परा यही रही है कि पहले ही श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

6.12.2014/1100/जेके/एजी/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्रद्धांजलि देने की परम्परा है, लेकिन जहां तक आर्मी के लोगों की बात है, फ्लश फ्लड में लोग मरते हैं और बादल फटने से लोग मरते हैं तो उनको हमेशा से श्रद्धांजलि बाद में दी जाती है। यह इस सदन की ही परम्परा है, कुछ मान्यताएं हैं और कुछ सिद्धांत हैं। इसमें निश्चित तौर

पर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ रहा है जिसमें हमारे माननीय सदस्य हिस्सा ले सकते हैं।

अध्यक्षः मेरा सभी से अनुरोध है कि जैसा प्रोसिजर हैं उसी के अनुरूप कर लेते हैं। प्रश्नकाल के बाद इसको एकदम से टेक-अप कर लेंगे। माननीय मंत्री जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि विपक्ष के नेता पहले श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं तो सरकार को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि हमने सदन की कार्यवाही को चलाना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में सीमा पर फायरिंग से एक हमारी आर्मी के कमिशन्ड ऑफिसर और कुछ जवान शहीद हुए हैं। इस घटना की जितनी निन्दा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान की तरफ से यह जो लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है यह सदन उसकी भी भर्त्सना करता है और आलोचना करता है। हम पाकिस्तान से अनुरोध करते हैं कि सीज़ फायर को बन्द किया जाए, वायलेशन को बन्द किया जाए और जिन उग्रवादियों को जम्मू-कश्मीर की तरफ भेजा जा रहा है उनको भी रोका जाए नहीं तो इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहता हुआ सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सारा सदन इस घटना की निंदा करता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

6.12.2014/1105/SS-AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

यह प्रस्ताव करता हूं कि सारा सदन इस घटना की निन्दा करता है और हम केन्द्र सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इस घटना को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ कोई बात करे ताकि इस किस्म की घटना दोबारा न हो और हमारे सैनिक जो सरहदों की रक्षा कर रहे हैं उनकी जान-माल की हर हालत में हिफाज़त की जाए। यही नहीं ,अध्यक्ष महोदय, जो उसमें सीज़ फायर वॉयलेशन हुई है उसमें हमारे नागरिक भी मारे गए हैं। उसकी भी आज हम भर्त्सना करते हैं और भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको चाहे वे आर्मी के ऑफिसर्ज़ हैं, नागरिक हैं, सिविलियन हैं, जिन लोगों की शहादत हुई है उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और भगवान् उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति दे।

अध्यक्षः श्री प्रेम कुमार धूमल जी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सचमुच में ही पिछले कुछ दिनों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर में सक्रिय हुई है और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। बुलेट का जवाब लोग वैलेट से दे रहे हैं। ऐसे में वे शक्तियां जो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहती हैं वे सक्रिय हो गई हैं। परिणामस्वरूप घुसपैठ बढ़ी है। पाकिस्तान में हमारे साथ सीधे लड़ाई करने की हिम्मत तो है नहीं इसलिए चोर दरवाजे से लड़ाई लड़ी जा रही है। कल पाकिस्तान में जो बड़ी रैली आतंकवादियों ने की है उसके लिए स्पैशल ट्रेन पाकिस्तान की सरकार ने मुहैया करवाई और उसकी भाषा जो हमें मीडिया से पता लगी है उसमें धमकी यही दी गई कि कश्मीर की समस्या का समाधान कर लो, नहीं तो कश्मीर रास्ता होगा हिन्दुस्तान को तबाह कर देंगे। इसके repercussions बहुत ज्यातदा हैं। यह केवल मात्र एक घुसपैठ की घटना नहीं है। सारा सदन इसकी निन्दा करता है। कल की इस घुसपैठ के मामले में जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। जैसे श्री ठाकुर कौल सिंह जी के द्वारा कहा गया कि अन्य लोग भी जो शहीद हुए हैं या हो रहे हैं, जितने भी युद्ध हुए उसमें हमारे

6.12.2014/1105/SS-AG/2

उतने लोग शहीद नहीं हुए जितने आतंकवाद के कारण शहीद हो रहे हैं। सेना के लोग भी दुखी हैं। दुश्मन सामने हो तो लड़ा जा सकता है लेकिन छिपकर वार हो रहा है। यह सारा सदन उन शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करता है। अभी हमने खबर पढ़ी कि उसमें एक चम्बा जिला के चवाड़ी के हैं उन सबको हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और यह सदन सारे राष्ट्र के साथ ही संकल्प लेता है कि ऐसी आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारा राष्ट्र एक होकर लड़ेंगे और अपने जवानों को हमेशा साधुवाद देंगे जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा कर रहे हैं धन्यवाद।

अध्यक्षः इस माननीय सदन में सरकार की तरफ से और नेता विपक्ष की तरफ से अपने विचार प्रकट किये गए हैं। जो हमारे नौजवान/ऑफिसर्ज़ शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है उसमें मैं भी अपने आपको इस सदन की ओर से शामिल करता हूं। यह बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान अपनी अटैंशन डाईवर्ट करने के लिए उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। यह उनके लिए बड़ा घातक है और हिन्दुस्तान ने जो मुकाबला उनके साथ रखा है मैं चाहूंगा कि सरकार उसमें यथावत् उचित जवाबी

कार्रवाई करे ताकि उग्रवाद हिन्दुस्तान को नुकसान न पहुंचाए। जो हमारे नौजवान/ऑफिसर्ज़ शहीद हुए हैं हम उनको इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं धन्यवाद।

जारी श्रीमती के0एस0

06-12-2014/1110/केएस/जेटी/1

अध्यक्षः अब शहीदों की शहादत के लिए हम दो मिनट का मौन रखेगें।

(**सदन के सभी माननीय सदस्य दो मिनट के मौन के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए**)

प्रश्नकाल आरम्भ

06-12-2014/1110/केएस/जेटी/2

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, उत्तर में बताया गया है कि मंदिरों में सोने की कुल मात्रा लगभग 4 क्विंटल, 73 किलो,905 ग्राम और 837 मिली ग्राम के करीब है इसी तरह सिल्वर की 158क्विंटल, 81 किलोग्राम, 525 ग्राम व 888 मिली के लगभग है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी प्रैज़ेंट वैल्यू क्या है और इसके रख-रखाव में कितना खर्चा आ रहा है ? दूसरे, चढ़ावे में कोई आदमी यदि नकली सोना चढ़ा जाए तो उसकी जांच के लिए क्या मापदण्ड हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मूल प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि कि सोने की कु ल मात्रा अभी तक इन मंदिरों में 4 क्विंटल, 73 किलो, 905 ग्राम और 837 मिली ग्राम है। तो 5 दिसम्बर को दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 26,780/ -रुपये था और इनमें सोना जो 4 क्विंटल, 73 किलो,905 ग्राम और 837 मिली ग्राम के करीब है, उसकी कुल कीमत 126 करोड़ 91 लाख 19 हजार 831 रुपये बनती है । इसी तरह से जो चांदी है वह 158 क्विंटल, 81 किलोग्राम, 525 ग्राम व 888 मिली ग्राम के लगभग है। इसकी बाजारी कीमत आज36 , 449रुपये किलो के हिसाब से है। इसकी कुल कीमत 57 करोड़ 88 लाख 65 हजार 737 रुपये बनती है। जहां तक इन्होंने कहा कि अगर चढ़ाया गया सोना प्योर न हो, तो उसकी जांच के क्या मापदण्ड है, उसके लिए एक नई सेक्शन- 12 E अभी इन्कॉर्पोरेट की गई है। उसके साथ कमेटी का गठन किया गया है और जो माईन्स, मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन)MMTC (है उनके साथ सोने को प्योर करने के लिए और उसके सिक्के

बनाने के लिए भी बात चल रही है। उसमें एम.ओ.यू. साईन हो चुका है। लॉ डिपार्टमैंट से वैट हो चुका है। हर जिले के डिप्टी कमिशनर को जो कि अपने जिले

06-12-2014/1110/केएस/जेटी/3

के अन्दर मंदिर के कमिशनर होते हैं, उनको हमने पत्र लिखा है कि आपकी इस बारे में क्या राय है?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

6.12.2014/1115/jt-av/1

प्रश्न संख्या : -------1226क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ---------- जारी

आपकी इस बारे में क्या राय है। अभी उनका जवाब अवेटिड है मगर जैसे ही उनका जवाब आयेगा हम कार्रवाई शुरु करेंगे।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, इनकी कीमत तो मंत्री जी ने बता दी मगर इन्होंने इसके रख-रखाव का खर्चा नहीं बताया। दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि इन सारे मंदिरों का संचालन क्या किसी ट्रस्ट द्वारा कया जा रहा है ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में माता चिन्तपूर्णी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। क्या उस मंदिर का किसी ट्रस्ट द्वार संचालन किया जा रहा है या कमेटी द्वारा हो रहा है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें भी कमेटी कनस्टिच्यूट की गई है। मैंने जैसे पहले कहा कि जिला के अंदर Deputy Commissioner is the Commissioner of the temples within the jurisdiction of his district. लोकल एस.डी.एम. उनके साथ एसिस्टैंट कमिशनर का काम करता है। इसमें कमेटी का गठन किया गया है जिसमें दो नॉन ऑफिशियल मैम्बर होते हैं to be nominated by the Government. वहां पर जो तहसीलदार है, वह टैम्पल ऑफिसर है और वह उसका मैम्बर सैक्रेटरी भी है। जहां तक इन्होंने खर्चे की बात की है तो इस बारे में प्रश्न में तो पूछा नहीं है लेकिन मैंने इस सम्बंध में सूचना इकट्ठी की है। उसके हिसाब से चिन्तपूर्णी मंदिर में जहां सबसे ज्यादा इनकम होती है उसकी आय 29,15,96000/- रुपये हैं और व्यय 22,91,86,257/-रुपये है। श्रीनैना देवी की आय 18,01,59000/- रुपये है और व्यय 11,46,57,330/-रुपये है। श्री चामुण्डा माता मंदिर की आय 3,60,25000/- रुपये और व्यय 3,16,17,218/- रुपये है। बज्रेश्वरी मंदिर की आय 4,41,36000/- रुपये है और व्यय 3,50,03,678/-रुपये है। बाला सुन्दरी मंदिर

की आय 5,52,37000/- है और व्यय 3,56,97,860/- रुपये है। बाबा बालक नाथ मंदिर

6.12.2014/1115/jt-av/2

की आय 19,32,33000/- रुपये है और व्यय 15,66, 46,742/- रुपये है। इस बारे में प्रश्न में नहीं पूछा गया था, यह सूचना हमने अप्रोक्सिमेटली कुलैक्ट की है।

अध्यक्ष : मंत्री जी, मैं विधायक द्वारा किए गए प्रश्न से सहमत हूं कि जैसे कोई सोने की बजाय पीतल चढ़ा जाता है। इस पर क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं कि कोई पीतल चढ़ाये या नकली सिक्का चढ़ाये; इस पर आप क्या रोक लगायेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझता हूं कि जो लोग श्रद्धा के साथ मंदिर में आते हैं उनका यह धर्म भी है और कर्त्तव्य भी है कि वे ठीक किस्म का सोना चढ़ाये। मगर सोने की प्योरिटी को जांचने के लिए मंदिर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसीलिए एम.एम.टी.सी. के साथ हम यह समझौता कर रहे हैं ताकि वे सोने को प्योर भी करें और (----व्यवधान---)

अध्यक्ष : यह तो आपका इनटरनल अरैंजमैंट हुआ न।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह इनटरनल अरैंजमैंट नहीं है बल्कि ऐक्ट में प्रावधान कर दिया गया है।

अध्यक्ष : इसमें क्या चढ़ाने वाले के लिए कोई ऑफैंस नहीं है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें चढ़ाने वाले को कोई ऑफैंस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यह तो श्रद्धालु का धर्म और कर्त्तव्य है कि वे ठीक सोना चढ़ाये। अगर वह ठीक न हो तो वह तो गुप्तदान होता है। मगर इस पर गवर्नमैंट का कोई मेकैनिज्म नहीं है।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी नहीं मांगी थी वह भी दे दी है कि खर्चा कितना होता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि हर मंदिर का आस-पास का एक विशेष क्षेत्र है। श्रद्धालु विश्वभर से आते हैं क्योंकि यहां कई

6.12.2014/1115/jt-av/3

अन्तर्राष्ट्रीय मंदिर हैं। टैम्पल से जो फण्ड्ज इकट्ठे होते हैं, जो खर्चे से बाकी बच जाते हैं वे कई बार विकास कार्यों के लिए दिए जाते हैं। क्या उसमें भी कोई एरिया स्पेसिफाईड है कि इस तहसील में या मंदिर के क्षेत्र में पैसा दिया जायेगा या सारे प्रदेश में कहीं भी दिया जा सकता है ? या फिर किसी जिला विशेष के लिए दिया जा सकता है? दूसरा, आपने मंदिरों की आय के साथ-साथ खर्चा तो बता दिया मगर एक यह भी निर्णय हुआ था कि जो मंदिर इतने सक्षम नहीं है-------------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

06.12.2014/1120/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः1226 ... जारी..

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल.. जारी..

जो मन्दिर इतने सक्षम नहीं हैं जहां उतना चढ़ावा नहीं चढ़ता है जिससे वहां की साफ-सफाई और धूप अगरबत्ती वहां हो सके तो उनको दूसरे मन्दिर से सहायता दी जा सके ताकि धर्म-कर्म के काम चलते रहे। ऐसे कितने मन्दिरों में कितने मन्दिरों के द्वारा किया जा रहा है और कितने मन्दिर हैं खास करके शिमला जिले में जहां भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से उन मन्दिरों को चलाए रखने के लिए अलग से फण्ड दिया गया है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि क्या उनकी जो आमदनी है उससे उनकी डिवलपमैन्ट के लिए कोई जिला या तहसील निर्धारित है या कोई एरिया निर्धारित है? लेकिन ऐक्ट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। It is the discretion of the Managing Committee of that particular temple. जिले के अन्दर जहां वह ठीक समझे उस पैसे को खर्च किया जा सकता है । जहां तक इन्होंने सुझाव दिया, हमने 21 टेम्पल टेक-ओवर किए हैं जिनका मैनेज़मैन्ट टेम्पल आफिसर के माध्यम से किया जाता है। यह ठीक है जैसे मैंने 5-7 टेम्पल बताया है उनकी आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम है और वहां कुछ पैसा बचता है। कुछ टेम्पल में आमदनी न के बराबर है । उसके लिए यह एक अच्छा सुझाव है इसपर सरकार विचार करेगी कि जो ज्यादा इन्कम वाले टेम्पल हैं उनसे छोटे मन्दिरों को भी धूप-अगरबत्ती और अन्य डिवलपमैन्ट के लिए पैसा दिया जा सके। जिस तरह for better management, protection and

preservation of properties pertaining to such institutions उसमें यह पैसा खर्च किया जा सकता है ।

06.12.2014/1120/negi/ag/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरा जवाब देने की कोशिश की है लेकिन कुछ रह गया है । आपने मैनेज़मैन्ट कमेटी के बारे में कहा ,क्या कभी सरकार ने चैक किया कि जो मांग आई, जो प्रस्ताव आए कि विकास के लिए पैसा दिया जाए, क्या वह किसी कमेटी के सामने रखे गए? क्या वहां का प्रशासक या डिप्टी-कमीश्नर ही वह पैसा सैंक्शन कर देता है ? दूसरा, मैंने पूछा था कि कुछ मन्दिरों की आदत ही बन गई है कि सरकार के सहारे ही चलना है । उन मन्दिरों की लिस्ट अगर आज नहीं दे सकते तो भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से ले करके बाद में जरूर दे दीजिएगा कि कितने-कितने पैसे किस-किस मन्दिर को दिए गए और किसके प्रभाव से दिए गए?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तो यह प्रश्न इसमें पूछा नहीं है, न ही यह प्रश्न इस प्रश्न से रेलेवैन्ट है। अगर माननीय प्रेम कुमार धूमल साहब चाहते हैं कि किस मन्दिर को सरकार ने ग्रांट इन ऐड दी है , उसके बारे में अगर अलग से प्रश्न पूछेंगे तो आपको यह सूचना दे दी जाएगी । क्योंकि यह इंफोर्मेशन न तो अभी मेरे पास है और न ही इस प्रश्न से यह किसी प्रकार से रिलेटिड है। जहां तक सैंक्शन की बात है , जो कमेटी कमीश्नर की अध्यक्षता में बनी है वही कमेटी फंड करती है and funds are sanctioned as per the temple procedure. No formality is supported by trust resolution. ट्रस्ट रेजोल्यूशन कोई नहीं है टेम्पल कमेटी इसको for the better management of any temple or for the development of that particular area or within the district, that Commissioner, who is the Chairman of that Committee, is competent to sanction the funds.

अध्यक्षः एक बात इन्होंने पूछी है कि मन्दिर के डिवलपमैन्ट के लिए कोई प्रस्ताव या लैटर आता है तो क्या उसको कमेटी में रखा जाता है या नहीं रखा जाता है ?

06.12.2014/1120/negi/ag/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में 21 मन्दिर ऐसे हैं और अब 21 मन्दिरों के पास कोई रिक्वैस्ट आई है या नहीं और वह किसके

पास रखा है , यह सूचना अभी मेरे पास नही है । अगर यह सूचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार यह सूचना देगी, अगर अलग से यह प्रश्न पूछेंगे तो। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने यह सूझाव दिया है, अब सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नही है कि हम मन्दिरों को पैसा दें। लेकिन यह ठीक है कि जो बड़े-बड़े टेम्पल हैं जहां आमदनी बहुत ज्यादा है...

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी...

06.12.2014/1125/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 1226.. क्रमागत

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री...जारी

जहां पर आमदनी बहुत ज्यादा है, ऐसे जो बड़े मंदिर हैं, ऐसे 29 बड़े मंदिर जो सरकार ने टेक ओवर किए हैं ,वहां से छोटे मंदिरों की ससटेनैंस के लिए, मेंटेनैंस के लिए या डवलपमैंट के लिए पैसा दिया जा सकता है।

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो गोल्ड, सिलवर या इसी तरह की दूसरी चीजें मंदिरों की चैस्ट में बेकार पड़ी हैं ,क्या ये ऐसे ही पड़ी रहेंगे या इन्हें रिजर्व बैंक या ऐसी ही किसी दूसरी जगह रखकर सरकार इनसे आमदनी पैदा करेगी जिससे विकास कार्य किए जा सकें?

अध्यक्ष : यह प्वायंट मंत्री जी ने कवर कर लिया है।

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, जो इस तरह की चीजें बेकार पड़ी हुई हैं, जैसे कि ज्वाला जी में है, वह चैस्ट में पड़ी हुई हैं और उनकी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं वह निहत्थे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। अगर रात को कोई उनको पीटकर चोरी कर ले तो वह कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसका उचित प्रबंध किया जाए। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शुद्धिकरण की बात की गई है, ज्वाला जी में भी दो-तीन साल पहले शुद्धिकरण हुआ। उसमें डेढ़ क्विंटल चांदी वेस्टेज शो कर दी गई जबकि वह प्योर चांदी थी। क्या ऐसी घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी या इनको रोका जाएगा और क्या पहले हुई ऐसी घटनाओं की जांच की जाएगी? तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आमदनी का व्यय सबसे पहले , जहां मंदिर स्थित है, वहां के विकास के लिए होना चाहिए ; उस शहर, उस गांव के विकास के लिए होना चाहिए और उसके बाद ही इधर-उधर पैसा दिया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सरकार ने 29 मंदिर वैटर मैनेजमैंट के लिए टेक ओवर किए है। जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि मंदिरों के पास जो सोना या चांदी पड़ा हुआ है, उसके लिए हमने एम. एम. डी. सी. के साथ एक मैमोरंडम

06.12.2014/1125/SLS-AG-2

ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया है। सैक्शन 12 ए के मुताबिक यह निर्धारित किया गया है कि 10% gold shall be used for various activities related to temple; 20 per cent gold shall be invested in the Gold Bond Scheme of the State Bank of India ; 20 per cent gold shall be kept reserved in the temples; and 50 per cent gold shall be converted into gold biscuits or coins and shall be sold to the devotees and pilgrims on the current prevailing market price. जैसे इन्होंने कहा कि कुछ चांदी आया। इन्होंने गलत बता दिया। हो सकता है, हम इंकार नहीं करते क्योंकि यह बात हमारे ध्यान में नहीं आई है। कई जगह मिस-एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है। कई बार पैसे की काऊंटिंग करती बार भी ऐसा कर लिया जाता है। एक तहसीलदार इनके ही चुनाव क्षेत्र का था जिसने हेरा-फेरी की। वह रैवन्यू डिपार्टमैंट का तहसीलदार था। हमने उसको ससपैंड कर दिया और ससपैंशन के दौरान ही वह रिटायर भी हो गया। इस तरह से we cannot rule out the possibility कि मिस-एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि जो कमेटी बनी है, वह इस बात पर पूरी नज़र रखे ताकि इस तरह की घटनाएं बार-बार न हों।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता माननीय धूमल जी ने जो प्रश्न पूछा था, मैं उसी में ही अपने आपको जोड़ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वह सारा ही बहुत गोल-मोल है। जब प्रश्न स्पैस्फिक पूछा गया कि जो मंदिर हैं, इनमें जो आय होती है और आय के पश्चात जो व्यय का ज़िक्र आप कर रहे हैं, उसका पोसिजर क्या है ? पैसा कहां दिया जा सकता है, कहां नहीं दिया जा सकता? मण्डी जिले में एक मंदिर , जो आपके विधान सभा क्षेत्र और हमारे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है, वह माता हनोगी का मंदिर है, अध्यक्ष महोदय, उस मंदिर में जो कर्मचारी रखे गए हैं वह अपनी डेली के लिए पिछले तीन-चार सालों से लड़ रहे हैं कि हमारी जो डेली है, वह तो हमें पूरी मिले।

जारी ...गर्ग जी

06/12/2014/1130/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1226-----क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर-----क्रमागत

वे लड़ रहे हैं कि कम-से-कम हमें दिहाड़ी तो पूरी मिले। यहां तक की दिहाड़ी का पैसा भी उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद 46 लाख रुपये मण्डी में एक मंदिर के रेनोवेशन के लिए वहां से सीधा दिया गया। कमेटी के लोग हमारे पास आए, जब उनकी कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें चर्चा हुई, वे कहते हैं कि हमने इस बारे में चर्चा की थी और उसमें अपना ऐतराज़ भी दर्ज किया कि मण्डी जिले में बाकी स्थानों पर भी देना है क्योंकि मण्डी जिले में एक ही हणोगी मंदिर आता है जो सरकार के अधीन है। लेकिन उसके बावजूद भी डिसक्रिशनरी ग्रांट की तरह इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। जहां खर्च करना है, किया जा रहा है। इस बारे में न तो कमेटी को पूछा जाता है और न ही कमेटी की सलाह ली जाती है। उनकी मीटिंग होती है जो एजेण्डा होता है, उसको पास करने के लिए कह दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो इस प्रकार का पैसा है, वैसे मैं मानता हूं कि मण्डी में जिस प्रकार से यह 46 लाख रुपया जिस मंदिर की रेनोवेशन के लिए दिया गया ,वह भी मण्डी जिले का पुराना मंदिर है और बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। हमारी उसके प्रति भी आस्था है। लेकिन उसके बावजूद जो वहां कर्मचारी हैं उनको आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और एक स्थान पर आप इतना सारा पैसा एक साथ दे रहे हैं ,तो उसकी क्या वजह है ? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इसके लेड-डॉऊन प्रोसीजर है वह क्या है, इसका पैसा कहां-कहां खर्च किया जा सकता है और कहां पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने कहा कि जिन मंदिरों की ज्यादा कमाई है ,कम कमाई वाले मंदिरों में भी उस पैसे को उसके रख-रखाव के लिए या उसमें धूप-अगरबत्ती जलाने के लिए दिया जाए। अब आप जिस हणोगी मंदिर की बात कर रहे हैं वह मेरे चुनाव क्षेत्र में है। पंडोह से आगे 7किलोमीटर चुनाव क्षेत्र पड़ता है। उस मंदिर की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है। वर्ष 2013-14 में उसकी आमदनी 1,33,00,000/-रुपये थी, लेकिन उसमें से जो यह पैसा फण्ड किया जाता है ,तो टैंपल का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से मंदिर के रख-रखाव और उसके विकास के लिए खर्च किया जाता है।0

06/12/2014/1130/RG/JT/2

जैसा मैंने कहा कि Deputy Commissioner is the Chairman of the Temple Committee for the whole district and he has the power. अब कहते हैं कि पिछली बार पिछली सरकार ने वहां कई लड़के ऐसे ही रख दिए। अब उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। अब ये कहते हैं कि आपने क्यों बढ़ाया ? तो उनकी तनख्वाह आप ही बढ़ा देते जब आप मंत्री थे ,आप उनकी तनख्वाह बढ़ा देते।
श्री जय राम ठाकुर : हमने बढ़ाई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : **उनकी तनख्वाह बढ़ाने का मामला भी उपायुक्त, मण्डी के पास लम्बित है और मैंने भी उपायुक्त को कहा है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए।** इसके अतिरिक्त सरकार ने पूजा-अर्चना के लिए ऐसे कोई मंदिर नोटिफाइड नहीं किए हैं। But Deputy Commissioner is competent and authorised to give money for maintenance of other small temples which are under the control of the Government.

(Concluded)

06/12/2014/1130/RG/JT/3

प्रश्न सं. 1238

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सीवरेज की व्यवस्था है, जैसा इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि एक स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में और एक स्कीम जनजातीय क्षेत्र में चलाई गई है। जो ग्रामीण क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में स्कीम चलाई गई हैं ,तो ऐसे इस प्रदेश में कितने ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां सीवरेज व्यवस्था को चालू करने के लिए कई बार आग्रह मिले हैं? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसी जो सीवरेज़ स्कीम्ज हैं जो वर्ष 1995 से चली आ रही हैं क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसके अन्तर्गत वर्ष 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 एवं वर्ष 2000 , इस क्रम को मद्देनजर रखते हुए उन स्कीम्ज को पूरा करने की प्राथमिकता दी जाएगी--------जारी

एम.एस. प्रश्न जारी

6/12/2014/1135/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1238 क्रमागत-----श्री महेन्द्र सिंह जारी----------

क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे जिसके अन्तर्गत वर्ष 1995, 1996, 1997 या 2000 की सीनियोरिटी को मध्य-नज़र रखते हुए उन सीवरेज स्कीम्ज को पूरा करने की प्राथमिकता देंगे, उनके लिए धनराशि देंगे? इसके अलावा , मैंने स्पेसिफिक कुछ ऐसी सीवरेज स्कीम्ज जिनमें सरकाघाट शहर, रिवाल्सर, सुन्दर नगर और करसोग की भी हैं ,पूछा था। क्या वजह है कि वर्ष 2012 में रिवाल्सर जो आपकी नगर पंचायत है, उसके लिए पैसा दिया गया है लेकिन अब वर्ष 2015 आने वाला है ,आपने अभी तक उसके आगे कोई भी काम नहीं किया है? आपने अपने उत्तर में कहा है कि करसोग के लिए कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। मंत्री जी ,आप अपने विभाग को पूछें कि क्या वर्ष 2012-13 में इस परियोजना के लिए अर्बन डवलपमैंट डिपार्टमैंट की तरफ से कोई धनराशि दी गई थी? अगर दी गई थी तो कितनी और उसका प्राक्कलन क्या बनाया गया था या नहीं, इसका भी पता करें? मैं स्पेसिफिक सरकाघाट की सीवरेज व्यवस्था के बारे में भी जानना चाहता हूं जिस बारे में आपने उत्तर में कहा है कि उसका काम प्रगति पर है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उस सीवरेज स्कीम का काम लगभग डेढ़ साल से पूर्ण रूप से बन्द पड़ा है। मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सरकाघाट की सीवरेज स्कीम जो वर्ष 1995 से चली आ रही है और आज वर्ष 2015 आने वाला है, क्या कोई टाइम बाउंड पीरियड इसको बनाने के लिए तैयार करेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो अनुपूरक प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उसमें इन्होंने सबसे पहले यह पूछा है कि ग्रामीण और ट्राइबल क्षेत्रों से ऐसे कितने आवेदन आए हैं। इसके साथ-साथ इन्होंने नई डी0पी0आर्ज 0जो बननी हैं ,उस बारे में भी पूछा है। जहां तक ग्रामीण और ट्राइबल एरिया की बात है, वहां से अभी हमें और नये कोई प्रस्ताव नहीं आए हैं। जो भी प्रस्ताव आते हैं वे लोकल अर्बन बॉडी से

6/12/2014/1135/MS/AG/2

आते हैं। प्रदेश में वर्ष 1992-1995 से लेकर 21 ऐसी सीवरेज स्कीम्ज हैं जिनका काम अभी प्रगति पर हैं। जो शहरी विकास विभाग है, आप जानते हैं कि यह फण्डिंग

एजेंसी है और इसकी इम्प्लीमैंटिंग एजैंसी सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग है। हमने अभी तीन-चार महीने पहले से एक प्रावधान किया है। पहले जो सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का काम होता था और पाइप लाइन मेन होल्ज वगैरह का काम होता था, उसमें उसके बाद डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि जो फरदर कनैक्शन घरों से मेन लाइन तक होते हैं, उसकी जिम्मेवारी कई जगह सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा था। क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है कि जब स्थानीय मौके पर काम करने जाते हैं तो कई जगह भूमि उपलब्ध नहीं होती है और आम सहमति नहीं बन पाती है। इसलिए हमने अब एम0सी0 को इन्वोल्व किया है और फण्डिंग बजाए सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को देने के, अर्बन लोकल बॉडी को दे रहे हैं ताकि जो स्थानीय नुमाइन्दे और अर्बन लोकल बॉडीज के कर्मचारी हैं , वे मौके पर जाकर इनका समाधान निकाले। हम इनको प्रायरोटाइज भी कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही विभाग ने शहरी निकायों में जाकर दौरा किया है। हमारा यह प्रयास है कि जहां-जहां हो सके, प्रायोरिटी के ऊपर जहां भूमि उपलब्ध होगी और भी जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं उनको दूर करके, पहले उनको फण्डिंग करके कम्पलीट कर देंगे फिर बाकी की स्कीम्ज को लेंगे। आप जानते हैं कि अभी तक जो भी फण्डिंग होती थी, वह किस्तों में पैसा गया है और फेजिज़ में काम हुआ है , जिस-जिस तरह से अर्बन लोकल बॉडीज का विस्तार हुआ है। हालांकि उसमें भी समस्याएं आई हैं। जो JNNURM कार्यक्रम भारत सरकार का था, उसमें यह प्रावधान आया कि सीवरेज स्कीम्ज के लिए एकमुश्त धनराशि दी जाए। उसमें हमने कुछ स्कीम्ज पोज की थी लेकिन अब उसकी गाइडलाइन्ज बदल गई हैं और JNNURM खत्म हो गया है। जैसे ही नई गाइडलाइन्ज भारत सरकार बनाती है, जो भी मांग अर्बन लोकल बॉडीज से आएंगी ,हम उनको डी0पी0आर्ज0 पोज करेंगे ताकि एकमुश्त धनराशि इन स्कीम्ज के लिए आए और एक समयबद्ध सीमा में स्कीम्ज पूरी हों।

6/12/2014/1135/MS/AG/3

जहां तक माननीय सदस्य ने सरकाघाट की बात की है। जो मेरे पास जानकारी विभाग ने दी है और उत्तर में आपको भी उपलब्ध करवाई गई है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

6.12.2014//1140जेके/एजी/1
प्रश्न संख्याः 1238ः----- जारी-------
ग्रामीण विकास मंत्रीः---जारी------

उसमें यह श्री फेजिज़ में बन रहा है। वर्ष 2011 में इसकी रिवाईज्ड डी.पी.आर. बनी थी और वह डी.पी.आर. 16 करोड़ 35 लाख रूपये तक बनी थी। इस बारे में जो विभाग से जानकारी आई है उसके मुताबिक इसमें आई.पी.एच. विभाग काम कर रहा है। आपने हमें यह जानकारी दी है कि मुख्यतः वहां पर कोई काम नहीं चल रहा है। **शहरी विकास विभाग के अधिकारी आई.पी.एच. विभाग के अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे। मैं मौके पर अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजूंगा कि क्या वज़ह है जो इसमें काम नहीं हो पा रहा है**?

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर देने की कोशिश की है। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र से हमें कोई प्रार्थना पत्र आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। मैं, माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र सन्धोल में जहां पांच पंचायतें इकट्ठी हैं। वहां हर घर दूसरे घर के साथ जुड़ा हुआ है। वहां के लिए सीवरेज व्यवस्था का होना भी नितान्त आवश्यक है। आपने यहां पर यह भी कहा कि जो कोनैक्टिविटी है उसको अर्बन डवैल्पमैंट विभाग देखता है और जो आपकी नगर पंचायतें हैं, नगर परिषदें हैं अब उनके हवाले किया जा रहा है। सीवरेज की स्कीमों को बनाने के लिए जो धनराशि आती है वह दो-तीन विभागों की ओर से आती है। एक तो जो शहरी विकास विभाग है और दूसरा जो शड्यूल कॉस्ट कम्पोनैंट प्लान है उससे भी इसके लिए पैसा आता है। इसकी जो एग्जिक्युटिव एजैंसी है और जो दोहरा काम करने के लिए आपने बीच में जो विभाग शामिल किए हैं , अब एक विभाग दूसरे विभाग को कहेगा कि हमने तो लाईन बिछा दी है कनैक्टिविटी का काम तो नगर पंचायत या नगर परिषद का है। इसको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो शड्यूल कॉस्ट कम्पोनैंट का पैसा है उसका खर्च आपका विभाग करेगा या आई.पी.एच. विभाग करेगा? इसका

6.12.2014//1140जेके/एजी/2

हमें संशय हो रहा है कि इस काम को कौन करेगा और इसमें पैसा कौन सा विभाग खर्च करेगा?

माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपसे जानना चाहा था कि सरकाघाट की जो स्कीम है जो कि 1995 से चली आ रही है क्या आप उसको टाईम बाऊंड करेंगे ? क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी के जो बजट अभिभाषण है उसमें वर्ष 2011-12 में भी इस स्कीम को टाईम बाऊंड किया गया था। अब तो वर्ष 2014-15 का बजट पेश होने वाला है, परन्तु अभी तक भी वह स्कीम पूरी नहीं हुई है। क्या अब आप इसे दोबारा से टाईम बाऊंड करेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि जो सरकाघाट की सीवरेज स्कीम है इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। जहां तक आपने ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज स्कीम की बात की है, वहां पर जो सीवरेज स्कीम्ज हैं उनका कार्यभार आई.पी.एच. विभाग के पास ही है। उन स्कीमों को शहरी विकास विभाग नहीं देखता है। लेकिन जिस तरह से अब भारत स्वच्छता मिशन आया है उसमें पूरे देश व प्रदेश के अन्दर जो इस तरह की जरूरतें हैं उनको बनाने का प्रावधान किया गया है। अभी उसकी भी गाईड लाईन्ज आनी है। मुझे उम्मीद है कि उससे भी काफी लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को होगा।

माननीय सदस्य, जहां तक आपने करसोग में सीवरेज स्कीम की बात की है उसका कार्य इसलिए शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि वहां की जो वॉटर सप्लाई स्कीम है वह आई.पी.एच. विभाग ने ऑगमैंट करनी थी वह ऑगमैंट नहीं हुई है, इसलिए उसमें देरी हुई है।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शिमला शहर की जो लैफ्ट आऊट सीवरेज स्कीम है उसके लिए विभाग ने क्या

6.12.2014//1140जेके/एजी/3

योजना बनाई है? उसका काम कौन सा विभाग करेगा ? क्या वह योजना बनी है या नहीं बनी है?

दूसरे, शिमला शहर के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सीवरेज स्कीम का जो 120 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट था उसमें काम होगा या उसका पैसा आपने केन्द्र सरकार को वापिस भेज दिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर के जो लैफ्ट आऊट एरियाज़ हैं उनके लिए योजना तैयार की गई है और जो 120 करोड़ रूपया जे.एन.एन.यू.आर.एम.का आया था उसमें तीन पर टेण्डर हुए और उसमें सिंगल बिडर आए इसलिए उसका काम शुरू नहीं हो पाया है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

6.12.2014/1145/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1238 क्रमागत

शहरी विकास मंत्री क्रमागतः

आप जानते हैं क्योंकि सिंगल बिडर आए इसलिए उसका काम शुरू नहीं हो पाया।

अध्यक्षः वैसे यह मेन क्वैश्चन का पार्ट नहीं है। Shimla is not a part of this. इसमें सरकाघाट, रिवालसर, सुन्दरनगर, करसोग और मण्डी की सीवरेज परियोजनाओं के बारे में पूछा है।

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, मूल प्रश्न यह है कि वर्तमान में प्रदेश में कितनी सीवरेज योजनाओं का कार्य पूर्ण कर दिया है?

अध्यक्षः अगर मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो कोई बात नहीं।

शहरी विकास मंत्रीः जो आपने 120 करोड़ रुपये की बात की है उसकी एक रिवाइज्ड डी0पी0आर0 केन्द्र सरकार को भेजी थी क्योंकि जितना आपने कहा है कि मर्जड एरिया आए या बाकी हिस्से आए उस धनराशि से उसको पूरा कर पाना मुमकिन नहीं था। बीच में कोड ऑफ कंडक्ट आया और अब सरकार बदली है तथा **जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की गाइडलाइन्ज़ भी बदली जा रही हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 खत्म हो चुका है तो हम इसको नये तरीके से पोज़ करेंगे और पूरे के पूरे क्षेत्र को उसमें लेंगे। शिमला इस प्रदेश की राजधानी है इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता पर उसको रखा जायेगा।**

अध्यक्षः लास्ट सप्लीमैंटरी श्री बी0के0 चौहान।

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो लम्बित योजनाओं की सूची दी है जोकि आदरणीय सदस्य द्वारा सारे प्रदेश की मांगी गई थी , उसमें चम्बा का नाम नहीं है। चम्बा का ज़िक्र इसलिए आवश्यक था कि चम्बा शहर के तीन मेन

वार्ड सुल्तानपुर ,तलाकड़ी और हरदासपुरा में सीवरेज योजना पिछले पांच साल से चल रही है अभी तक उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ है। यही नहीं डलहौजी और

6.12.2014/1145/SS-AG/2

चुवाड़ी में भी लम्बित योजनाएं हैं जिसका कहीं ब्योरा इस सूची में नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो शहर की योजनाएं हैं और पांच-छः सालों से चल रही हैं ये कब तक कम्प्लीट कर ली जायेंगी ? क्या मंत्री महोदय कोई निश्चित डेट बता सकेंगे कि कितने महीने में ये योजनाएं कम्प्लीट कर ली जायेंगी ? क्योंकि पांच साल का अरसा बहुत होता है और ये बड़े-बड़े वार्डस हैं।
शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 57 टाऊन्ज़ हैं जिनमें से 18 स्कीम्ज़ कम्प्लीट कर ली गई हैं। आई0पी0एच0 विभाग के अनुसार जो हमारे विभाग के पास सूचना है उसमें चम्बा की स्कीम कम्प्लीट की जा चुकी है। जहां तक आपने चुवाड़ी और डलहौजी की बात की है यह स्कीम 1996 से बन रही है। इसमें अभी कुछ काम शेष रहता है। लेकिन आपने फिर भी तीन वार्डस के बारे में बताया है कि वहां पर स्कीम पहुंची नहीं, काम होना बाकी है, उसके लिए जैसे ही धन की उपलब्धता होगी तो उसके लिए धन का प्रावधान करेंगे। ---(व्यवधान)---

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष महोदय, हमारी पांच साल में सीवरेज स्कीम्ज़ कम्प्लीट नहीं होंगी तो सारे शहर को कितना अरसा लगेगा?
Speaker: You can get the information later on.

प्रश्न समाप्त

6.12.2014/1145/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 1323

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पत्र 17 जुलाई, 2014 को भारत सरकार को लिखा था, अब तो समय बहुत बदल गया है और वर्तमान में परिस्थितियां भी बदली हैं और जो पत्र भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से हिमाचल प्रदेश सरकार को आया है..

जारी श्रीमती के0एस0

06-12-2014/1150/केएस/जेटी/1

प्रश्न संख्याः 1323 जारी---

श्री गुलाब सिंह ठाकुर जारी-----

जो पत्र आया है यह इतने बड़े स्तर का जो एम्ज़ का हॉस्पिटल प्रदेश में खुलना है, वह ठीक स्थान पर और हिमाचल प्रदेश में ऐसी जगह में बनें जहां से सारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को उसका लाभ हो। तो उस पत्र का जो क्राइटेरिया भारत सरकार ने तय किया है, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उसके साइलैंट फीचर्ज़ क्या हैं ? जो आपने सभी जिलाधीशों को जो पत्र लिखे हैं उसके सन्दर्भ में आपको वहां से क्या-क्या प्रोजैक्ट्स की रिपोर्ट्स है या आपने जो सूचना मंगवाई थी, वह आई है ? उसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि यह अब तय है कि कोई भी जो पुराना इंस्टीट्यूट है या वर्तमान में इंस्टीट्यूट है उसको टेक ओवर नहीं किया जाएगा ,तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो सभी जिलों से जो मसौदे बनाए हैं , उसका अध्ययन किया है और अध्ययन करके क्या कोई जगह का चयन किया है जिसके बारे में फाईनली अब भारत सरकार को लिखा जाए ताकि वह जो केन्द्रीय टीम आकर हिमाचल प्रदेश का दौरा करें और उस स्थान के बारे में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दें?

Health & Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, as has been said by Hon'ble Gulab Singhji, the first condition for creation of AIIMS type Super Speciality Hospital-cum-Training Institution, they need minimum 200 acres of land and that land has to be given to the Ministry of Health, Govt. of India, free of cost. Second condition is that place must be well connected with pucca road. Adequate electricity connection, transformers, etc. should also be provided free of cost. Third is that there must be water connectivity i.e. drinking water and other water supplies should also be provided by the State Government. Whole of Himachal Pradesh is ours. So, we have written to all Deputy Commissioners to

06-12-2014/1150/केएस/जेटी/2

identify suitable land for the establishment of this AIIMS like institution in the Pradesh. In this year, the Central Government has not kept any

provision for Himachal Pradesh. I have requested the former Union Health Minister Dr. Harshwardhan to put Himachal Pradesh in the next Central Budget. Now, I am happy that Shri J.P. Nadda has taken over as the Union Health Minister. He will definitely watch the interests of the State and accept our request. He better knows whole of Himachal Pradesh. So, he will try to justify this AIIMS like institution in the centre of Himachal Pradesh. That's all, Sir.

Speaker: So, let the report come.

(Concluded)

06-12-2014/1150/केएस/जेटी/3

प्रश्न संख्याः1324

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि वर्तमान में शिमला नगर निगम में वार्डों में निर्मित्त सार्वजनिक शौचालय बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। जो शौचालय सुलभ इंटर्नेशनल सोशल सर्विसिज मनी माजरा, चण्डीगढ़ को दिए हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है । कृपया एक तो इस पर चैक रखें बाकी जिन वार्डों में शौचालय निर्मित किए जाने हैं, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, जिनसे धीरे-धीरे टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जैसे न्यू शिमला है, ढली बस स्टैंड है, कुसुम्पटी है यहां पर शौचालयों का बहुत अभाव है। इनमें नए शौचालय बनाने की प्रोपोज़ल शीघ्रातिशीघ्र यू.डी. डिपार्टमैंट द्वारा डाली जाए। धन्यवाद।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शौचालयों की व्यवस्था नगर निगम, शिमला ही देखता है इसमें सरकार का सीधे-सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं रहता ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

6.12.2014/1155/jt-av/1

प्रश्न संख्या : 1324----क्रमागत

शहरी विकास मंत्री ------जारी

इस पर सरकार का कोई सीधे-सीधे हस्तक्षेप नहीं रहता। जहां तक माननीय सदस्य ने नये मर्ज्ड एरिया की बात की है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि नगर निगम ने इन्हीं के चुनाव क्षेत्र में 8 नये स्थान चिन्हित किए हैं जहां शौचालय बनने हैं। इनके

रख-रखाव का कार्य नगर निगम ने सुलभ इन्टरनेशनल को दे रखा था जिसका करार ऐक्सटैंड करके 31.1.2015 तक बढ़ा दिया गया है। जब इनके लिए बिडिंग बुलाई गई थी तो कोई बिडर नहीं आया था और उसके लिए नगर निगम दोबारा से प्रोसैस चला रहा है। जैसे ही इनको चलाने के लिए कोई नई एजैंसी आती है तो वह ही शौचालयों का रख-रखाव करेगी। जहां तक धनराशि की बात है तो वह फण्ड्ज सरकार या विभाग प्रोवाइड कर सकता है। आप इस बात को मेरे ध्यान में लायें या लिखकर दें, इस बारे में उचित कार्रवाई की जायेगी।

समाप्त

6.12.2014/1155/jt-av/2

प्रश्न संख्या : 1325

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री रविन्द्र सिंह।
(कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।)

6.12.2014/1155/jt-av/3

प्रश्न संख्या : 1326

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय ,मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन 6 परियोजनाओं की डी.पी.आर. नहीं बनी हैं क्या उनको बनाने के लिए पटवारी और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए जायेंगे कि ऐफिडेविट लेकर उन परियोजनाओं को जल्दी आगे सरकार को भेजा जाए, क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई आश्वासन देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, एक तो इनका सीर खड्ड का पुल है जिस पर 2,20,78000/- रुपये खर्च किए जायेंगे और यह राशि सैंक्शन हो चुकी है। एक आपकी विधायक प्राथमिकता में डबर रोड स्कीम है जो वर्ष 2010 में सबस्टिच्यूट की गई थी। वह 56.92 लाख रुपये की है तथा अप्रूव भी हो चुकी है। बाकी आपकी जो 6 स्कीमें हैं उनके लिए लोग जमीन देने के लिए इनकार कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसके लिए लोगों को तैयार करें कि वे अपनी जमीन दे दें। कुछ सड़कों में फॉरैस्ट आता है जिसमें फॉरैस्ट कनजर्वेशन ऐक्ट और एफ.आर.ए. के तहत केस बनाये जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आप उनमें विभाग की मदद करें। हम निश्चित तौर पर यह कहना चाहते हैं कि आपकी

जो 6स्कीमें हैं उनकी भी जल्दी से जल्दी डी.पी.आर. तैयार करेंगे और उन स्कीमों को आगे बढ़ायेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

6.12.2014/1155/jt-av/4

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : हां, सुरेश भारद्वाज जी, बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल नियम 67 के अंतर्गत एक नोटिस दिया था और उस पर आपकी रूलिंग आई थी कि मैंने वह सरकार तथा विभिन्न मंत्रियों को भेज रखा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस नोटिस का क्या हुआ? क्या उस पर कनसिड्रेशन हो गई या नहीं हुई ? दूसरे, कल माननीय मंत्री महोदय जी ने जवाब भी दिया। इस मुद्दे पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल की वायोलेशन की है जो कि कंटैम्पट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कानून है जिनकी वायोलेशन की है क्योंकि अगर 30 बीघा से अधिक जमीन हो तो उसमें इस प्रकार की फैलिंग नहीं हो सकती और -----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

06.12.2014/1200/negi/ag/1

श्री सुरेश भारद्वाज़ .. जारी...

और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी बनी हुई है उसकी भी यह वॉयलेशन है क्योंकि यह 30बीघा से ऊपर 38 बीघा ज़मीन है जिसमें 477 पेड़ कटे हैं। क्या इन सब के ऊपर इनक्वायरी होगी ? क्या मंत्री जी त्याग-पत्र दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ?और क्या मुख्य मंत्री जी इन सारी वॉयलेशन्ज़ को देखते हुए इनको हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं ? जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का सत्यनाश कर रहे हैं उसके लिए क्या आप रिस्पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ? मैंने जो नियम-67 के अन्तर्गत नोटिस दिया है, मैं उसके बारे में जानकारी जानना चाहूंगा ।

अध्यक्षः आपकी सूचना के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यह मैटर नियम-130 के अन्तर्गत डिसकस हुआ था और जो आपका नियम-67 का नोटिस है उसको मैंने

सरकार के पास जवाब के लिए भेज दिया है और उनसे अभी सूचना मेरे पास आई नहीं है । जब सूचना आ जाएगी तो हम उसको टेक-अप करेंगे । माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल इसपर विस्तृत तौर पर इसपर चर्चा हुई है। उसमें मेन मुद्दा यही था कि शिमला के पास तारादेवी में जो दरख्त काटे गए हैं और उसमें कल , दो-ढ़ाई घंटे की चर्चा हुई है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तृत तौर पर जवाब दिया और अंत में माननीय वन मंत्री जी ने भी जवाब दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम जो वन माफिया है उसको स्पेयर नहीं करेंगे। इसमें केस रजिस्टर हो चुका है और उसकी इनक्वायरी करेंगे । अब मुझे यह समझ नहीं आता कि सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए यह मांग कर रहे हैं कि क्या वन मंत्री इस्तीफा देंगे? वन मंत्री क्यों इस्तीफा देंगे ? इसमें विस्तृत तौर पर चर्चा भी हो चुकी है । मुख्य मंत्री जी ने भी विस्तृत तौर पर जवाब दिया है और माननीय वन मंत्री ने भी जवाब दिया है और ये सारे सदस्य सैटिस्फाई हो करके

06.12.2014/1200/negi/ag/2

बाहर चले गए हैं । लेकिन आज फिर इस बात को तूल दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह संसदीय परम्परा के खिलाफ है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कौल सिंह ठाकुर जी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं जहां आप बैठे हैं। आपने अध्यक्ष महोदय अभी कहा कि मैंने विभागों को लिखा है, मंत्रियों को लिखा है और जब उत्तर आएगा तो फिर आप अपना निर्णय देंगे। मंत्री महोदय कह रहे हैं इसपर चर्चा हो गई है। आपको तो आसन का सम्मान करना चाहिए।

अध्यक्षः नहीं-नहीं , ऐसा नही है। ....व्यवधान... मैं आपको क्लीयर कर देना चाहता हूं। ऐसा है, यह विषय नियम-130 के अन्तर्गत डिसकस हो चुका है । लेकिन आपका जो नियम-67 का नोटिस है उसके लिए सरकार को अलग से लिखा है। उसका जब जवाब आ जाएगा तो मैं उसपर ऐक्शन लूंगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात कह रहा था जो माननीय मंत्री जी समझ रहे थे । अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जजमैन्ट है - T.N. Godavarman Thirumulpad Versus Union of India and Others, the area irrespective of status "private" (जिसका जिक्र किया गया है कि प्राइवेट लैंड

की बात है) if it has forest growth more than 50 per cent density, it attracts the provision of Forest (Conservation) Act, 1980 and the permission has to be taken from Central Empowered Committee appointed by the Supreme Court of India. Violation of this is very serious and is contempt of court and the orders of Supreme Court of India.

अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम नियम- 67 के अन्तर्गत दिए नोटिस का इंसीस्ट कर रहे हैं। तारादेवी फोरेस्ट एरिया 30 बीघा से ज्यादा है । सुप्रीम कोर्ट ने 25 बीघा से ज्यादा की बात की है तो 5 बीघा वैसे ही इसमें फालतू है । वहां पर बान, देवदार और अन्य वृक्ष थे, घना जंगल था। क्रिमिनल इंटैंशन के साथ bypassing the law

06.12.2014/1200/negi/ag/3

laid down by the Supreme Court of India, एपैक्स कोर्ट को भी इग्नोर करते हुए ये फैलिंग हुई है , इतने वृक्ष कटे हैं और इसमें फिर लकड़ी पकड़ी नहीं गई। मैं तो चाहूंगा यहां आफिसर्ज़ गैलरी में सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को सरकार के ध्यान में लाया है ? मुख्य मंत्री जी को बताया है कि..

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी..

06.12.2014/1205/SLS-AG-1

श्री प्रेम कुमार धूमल...जारी

मुख्य मंत्री जी को बताया है कि ऐसी रूलिंग है और इसके तहत जांच होनी चाहिए। जो फोरैस्ट प्रोड्यूस था, वह कहां गया ? न तो वह पुलिस के पास आया और न वन विभाग ने पकड़ा है। That is another violation of the H.P. State Forest Regulation Trade Act. The forest officials, revenue officers, landowners and builders connived to bypass both laws involving deodar, ban trees and scheduled species as per the Government notification. वहां पर स्पैसिफिकली बान और देवदार के पेड़ कटे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि सोमवार तक हम इनका जवाब सुनेंगे। इसके लिए हम सोमवार तक आपकी रूलिंग का इंतजार करेंगे।

अध्यक्ष : इसी के लिए तो एफ. आई. आर. दर्ज़ हुई है, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं। यह सभी बातें एफ. आई. आर. में दर्ज़ हैं।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, क्या चम्बा की एफ . आई. आर. दर्ज़ हो गई है? मेरा निवेदन है कि यह रिपोर्ट आए, जिसके लिए हम सोमवार तक इंतजार करेंगे। आप चम्बा वाली रिपोर्ट भी ले लें और उसमें सारे फैक्टस आ जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का जो कंटैंप्ट हुआ है, वह मामला भी है और यह सारे गंभीर मामले हैं। इसलिए सोमवार तक हम आपकी रूलिंग का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। (व्यवधान)

अध्यक्ष : अब इस पर काफी बात हो गई है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो बात विपक्ष के नेता ने कही, मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि जो नोटिस नियम -67 के अंतर्गत दिया गया है , जिस पर कल चर्चा हुई है ,उसमें मैंने आपसे एक मांग रखी थी कि सारा हाऊस ; मीडिया भी, अधिकारी भी माननीय विधायक, मंत्री, मुख्य मंत्री जी और विधान सभा अध्यक्ष के साथ-साथ आप सभी, जो सी. डी. मैंने कल यहां पर दिखाई है ,उसे यहां पर दिखाने

06.12.2014/1205/SLS-AG-2

की व्यवस्था की जाए। वह प्रावधान आप विशेष तौर पर करें। विशेष तौर पर वह चम्बा की है। यहां पर चम्बा का ज़िक्र बहुत कम हो रहा है ,इसलिए मैंने यह विषय उठाया है। यह सी. डी. चम्बा की है। वहां पर जंगलों का कितना कत्लेआम किया गया है ,अध्यक्ष महोदय, वह देखने की बात है। वहां पर एफ .आई.आर. दर्ज़ नहीं हुई है। न उसे एक विभाग देख रहा है और न दूसरा विभाग देख रहा है। मेरा कहना है कि यहां पर विधायकों की एक कमेटी गठित कर दी जाए और वह वहां के सारे -के-सारे एरिया की विजिट करे। लेकिन जैसे तारादेवी में सब-कुछ मटियामेट कर दिया गया ,ठुंठ भी नहीं छोड़े गए हैं ,चम्बा में भी यही हो रहा है और आज के दिन वहां पर यह काम शुरू हो गया है। जैसी सूचना मुझे मिली है, वहां पर इस तरह की सफाई करना शुरू हो गई है ताकि सब साफ कर दिया जाए ; कुछ भी न मिले। इसलिए इस कमेटी का गठन किया जाए और इस पर चर्चा की जाए। साथ ही इस सी . डी. को यहां पर दिखाने की भी व्यवस्था की जाए, यही हमारी मांग है।

अध्यक्ष : विधायक महोदय, इस मामले में सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है , इसलिए इसमें कमेटी गठित करने की कोई बात नहीं आती है। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान) सरकार की ओर से जांच की जा रही है (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय इसकी व्यवस्था जल्दी की जाए। मैं चाहूंगा कि आप रूलिंग दें कि वहां पर जंगल के बीच में ,जो ऐल्मी का जंगल है ,वहां पर हर किसी का प्रवेश बंद कर दिया जाए। केवल जिनके घर वहां पर हैं, वह जाएं, और जब तक यह जांच नहीं हो जाती तब तक बाकी लोगों का प्रवेश वहां पर बंद कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी मांग है। ऐसा न होने पर कल को वहां कुछ नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष : मैं आपको यही कह रहा हूं कि the offence has to be taken into consideration by legal action by the Government. गवर्नमैंट कोई ऐक्शन लेगी, तभी वह होगा। जहां तक आपकी सी . डी. का प्रश्न है, वह सी . डी. आप टेबल ऑफ द हाऊस पर रख दीजिए।I will examine it and then allow you to show it.

06.12.2014/1205/SLS-AG-3

Otherwise, if I think that it is proper to show, मैं पहले उसे देखूंगा। I will examine it myself उसके बाद इसे अलौ करेंगे। अभी गवर्नमैंट उस पर ऐक्शन ले रही है और कानून के अनुसार सरकार कार्रवाई कर रही है। आपको उससे सैटिस्फाई होना चाहिए। (व्यवधान) अब आप बैठ जाइए। Let the Government action be awaited for that.

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं -

(i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम 1966 ,की धारा 27(1) के अन्तर्गत सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन , वर्ष 2012-1 3(विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14; और

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2013-14 (31 मार्च, 2014 तक)।

06.12.2014/1205/SLS-AG-4

अध्यक्ष : अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

आबकारी एवं कराधान मंत्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं -

(i) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-2/2014 दिनांक 5.8.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 6.8.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/201 3दिनांक 20.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-16/201 4दिनांक 22.9.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.9.2014 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-25/201 4दिनांक 17.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3की उपधारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 20 10 से संलग्न अनुसूचि- 2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-25/201 4दिनांक 27.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.10.2014 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3की उपधारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 20 10 से संलग्न अनुसूचि- 2 में संशोधन जोकि

अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-4/20 11दिनांक 25.2.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.2.2014 को प्रकाशित;

06.12.2014/1205/SLS-AG-5

(vii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/201 3दिनांक 26.2.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.2.2014 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3की उपधारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 20 10 से संलग्न अनुसूचि-1 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-4/2011-पार्ट-I दिनांक 1.4.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 4.4.2014 को प्रकाशित;

(ix) हिमाचल प्रदेश पथ कर अधिनियम, 1975 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथ कर अधिनियम, 1975 से संलग्न अनुसूची- II में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(1)-1/2014 दिनांक 4.6.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 9.6.2014 को प्रकाशित;

(x) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-क में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/201 3दिनांक 25.7.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.7.2014 को प्रकाशित; और

(xi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-क में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई०एक्स०एन०-एफ(10)-5/201 4दिनांक 28.7.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.7.2014 को प्रकाशित।

अगली मद ...श्री गर्ग जी

06/12/2014/1210/RG/JT/1

अध्यक्ष : अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगेः-

(i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर , अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम , 1995 की धारा 65(2) के अन्तर्गत विकलांगता पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 तथा 2012-2013; और

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1बी) के अन्तर्गत अनुसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अनुसूचित जाति अन्यपिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-2013 (विलम्ब के कारणों सहित)।

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा (5) के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ,हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

/-2

06/12/2014/1210/RG/JT/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किए जाएंगे तथा सदन के पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **59वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **60वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 49वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **61वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 50वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **62वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 52वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(v) समिति का **63वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 57वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है ।

06/12/2014/1210/RG/JT/3

अध्यक्ष : अब श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:4 . 10के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **24वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15),** जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्याः 4 . 11के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का **12वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 44वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 8दिसम्बर, 2014 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 6 दिसम्बर, 2014 **सचिव।**